लखनऊ विश्वविद्यालय

लखनऊ, उ0प्र0–226007

Web. : www.lkouniv.ac.in, E-mail : registrar@lkouniv.ac.in, Phon/Fax : 0522-2740412

संदर्भ संख्या :............................/सम्बद्धता/2022

दिनांक :..

ई–मेल/रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/व्यक्तिगत

कार्यालय–ज्ञाप

उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या : 646/सत्तर–2–2022–16(11)/2017, दिनांक : 14.07.2022 द्वारा नवीन महाविद्यालय अथवा पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों/विषयों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) की सहयुक्तता हेतु निम्नानुसार समय–सारिणी निर्धारित की गयी है –

1. **पूर्व वर्षों के अनापत्ति/सहयुक्तता के लम्बित प्रस्तावों के निस्तारण हेतु अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए निम्नानुसार समय सारिणी निर्धारित की गयी है :–**

क.सं.	कार्यवाही	समय–सीमा
1	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि सम्बन्धी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना	31 जुलाई, 2022 तक।
2	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	
3	निरीक्षण मण्डल का गठन	दिनांक 12 अगस्त, 2022 तक (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा विलम्बतम दिनांक 05 अगस्त तक निरीक्षण मण्डल के गठन के सम्बन्ध में आवेदन किया जायेगा। (2) तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 12 अगस्त तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
4	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना	दिनांक 15 सितम्बर, 2022
5	सदस्य सचिव द्वारा आख्या को ऑनलाइन अपलोड किया जाना	दिनांक 17 सितम्बर, 2022
6	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 22 सितम्बर, 2022
7	शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 26 सितम्बर, 2022
8	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 30 सितम्बर, 2022

नोट :– उ0प्र0 शासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय–सारिणी की तिथि व्यतीत होने के उपरान्त दिनांक 01 अक्टूबर, 2022 को लम्बित आवेदन पत्र पोर्टल में स्वतः विलोपित कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित संस्था को नियमानुसार नवीन आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि लम्बित अनापत्ति एवं सहयुक्तता प्रस्तावों का निर्णय शैक्षिक सत्र 2023–24 के लिये मान्य होगा।

2. **शैक्षिक सत्र 2023–24 हेतु प्राप्त होने वाले नये आवेदन पत्र के सम्बन्ध में समय–सारिणी**

क.सं.	कार्यवाही	समय–सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हे अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि	01 सितम्बर से 31 दिसम्बर, 2022 तक
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि सम्बन्धी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना	15 सितम्बर से 31 जनवरी, 2023 तक (1) अनापत्ति प्रस्ताव प्राप्त होने के तिथि से 07 दिन के अंदर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को सत्यापन हेतु प्रेषित कर दिया जायेगा। (2) तदोपरान्त जिलाधिकारी प्रस्ताव प्राप्त होने के अधिकतम एक माह के अन्दर सत्यापन रिपोर्ट सम्बन्धित विश्वविद्यालय को ऑनलाइन प्रेषि कर देगा।

Latter-pad notice20

3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	दिनांक 15 फरवरी, 2023 तक
4	निरीक्षण मण्डल का गठन	दिनांक 28 फरवरी, 2023 तक (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 22 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल के गठन के सम्बन्ध में आवेदन किया जायेगा। (2) तदोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 28 फरवरी तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
5	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना	दिनांक 15 अप्रैल, 2023 तक
6	सदस्य सचिव द्वारा आख्या को ऑनलाइन अपलोड किया जाना	दिनांक 18 अप्रैल, 2023 तक
7	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 28 अप्रैल, 2023 तक
8	शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 15 मई, 2023 तक
9	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 15 जून, 2023 तक

नोट :–उ0प्र0 शासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय–सारिणी की तिथि व्यतीत होने के उपरान्त दिनांक 16 जून को लम्बित आवेदन पत्र पोर्टल में स्वतः विलोपित कर दिया जायेगा तथा सम्बन्धित संस्था को नियमानुसार नवीन आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा करना होगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त प्रस्तावित नवीन महाविद्यालयों / पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों की अनापत्ति / सहयुक्तता हेतु अनिवार्य रूप से **शासन के अनापत्ति / सम्बद्धता के पोर्टल *"henoc.upsdc.gov.in"* पर** उपरोक्त समय सारिणी के अनुसार आवेदन / अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(डॉ0 विनोद कुमार सिंह)
कुलसचिव

संख्या : R/1005/22 दिनांक : 19/07/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. जिलाधिकारी–लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, रायबरेली एवं लखीमपुर खीरी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सेक्टर–एम, आशियान लखनऊ।
4. इंचार्ज, वेबसाईट / कम्प्यूटर केन्द्र, ल0वि0वि0 को इस आशय से प्रेषित कि नोटिस को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने एवं समस्त महाविद्यालयों को ई–मेल पर प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. गार्ड फाईल।

कुलसचिव